निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 540/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि) कार्यालय 102, कंचन अपार्टमेन्ट, एल बी एस कालेज के सामने तिलक नगर, जयपुर। प्रार्थी

बनाम

1. नरेश कुमार सैनी पुत्र श्री फूलचन्द सैनी
   पता–वार्ड नं॰ 30 ढाणी हालावाली, खेडकी रोड, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर ।
2. ख्यालीराम सैनी पुत्र श्री फूलचन्द सैनी
   पता–वार्ड नं॰ 30 ढाणी हालावाली, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर ।
3. महावीर प्रसाद पुत्र श्री फूलचन्द सैनी
   पता–वार्ड नं॰ 30 ढाणी हालावाली, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
4. शंकर लाल सैनी पुत्र श्री रामपाल सैनी
   पता–वार्ड नम्बर 3, सैनी मोहल्ला कांवट टाउन, जिला सीकर ।
5. सुनील कुमार सैनी पुत्र श्री सुरेश चन्द सैनी
   पता– वार्ड नम्बर 1,ढाणी मैनावाली, मोहल्ला बासडी, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः–

1.श्री अनिल गुप्ता अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश दिनांक 18.01.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23.01.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में श्रीमती सोनी देवी पत्नी कैलाश चन्द जाति माली द्वारा श्री नरेश पुत्र फूलचन्द सैनी को विक्रय की गई खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बडाबास तहसील कोटपूतली के खसरा नम्बर 547 रकबा 0.23 हैक्टेयर में से 3.83 एयर कृषि भूमि को बन्धक रख कर 10,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.08.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 24 अक्टूबर 2018 को क्रम संख्या 13 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 10,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में श्रीमती सोनी देवी पत्नी कैलाश चन्द जाति माली द्वारा श्री नरेश पुत्र फूलचन्द सैनी को विक्रय की गई कृषि भूमि ग्राम बडावास तहसील कोटपूतली के खसरा नम्बर 547 रकबा 0.23 हैक्टेयर में से 3.83 एयर कृषि भूमि प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। सिक्योरिटाईजेशन की धारा 31 इस प्रकार है– Section-31- Provisions of this Act not to apply in certain cases- (I) any security interest created in agricultural land. चूंकि प्रार्थी वित्तीय सस्था द्वारा प्रस्तुत धारा 14 सरफेशी एक्ट के प्रार्थना पत्र में बन्धक भूमि राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज है। इसलिए सरफेशी एक्ट के तहत कार्यवाही किया जाना प्रतिबन्ध होने से प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति हस्व कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

6. आदेश आज दिनांक 18.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

18/1/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर